works due to labour unrest and power cuts and also the difficulties arising out of embargo placed by some countries on the export of certain equipment and materials.

(b) and (c) Yes, Sir. Unit-I is expected to be completed by the end of 1980 and Unit II by early 1983. Commissioning will be taken up thereafter.

**Decision to remove disparities in promotion avenues of Army and Civilian officers**

1695. SHRI UTTAM RAO PATIL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision in regard to removing disparities in the promotion avenues and change of ranks of Army officers and Civilian officers, which were under consideration of Government;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI C.P.N. SINGH): (a) to (c) The promotional avenues of the various ranks of armed forces personnel are based upon the organisational structure, the functional requirements and the terms and conditions peculiar to the Defence Services which in many cases are not comparable to those of civilian cadres. Government however have recently reviewed the career prospects in the armed forces and carried out a cadre review of officers up to the rank of Brigadier and equivalent in the other two Services to improve their promotional opportunities. Details are as follows:—

(i) Nearly 60 per cent prospects of career improvement have been provided for those in the rank of Majors and equivalent in the other two Services, 20 per cent of which will be through the introduction of a selection grade.

(ii) About 50 per cent prospects for career improvement have been provided for those in the rank of Lt. Colonel and equivalents in the other two Services. This again will include 10 per cent through selection grade.

(iii) 125 posts of Lt. Colonels/Colonels in the Army have been upgraded to that of Brigadier. 10 posts of Group Captains in the Air Force have been upgraded to that of Air Commodore. On the Navy side, the Government have agreed, in principle, to upgrade 52 posts from Commanders to that of Captain.

**सैनिक अभ्यास के कारण जिन लोगों को वैयक्तिक हानि होती है उन्हें भुआवजा देना**

1696. श्री विरधी चन्द्र जैन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना, राजस्थान में भारत पाक सीमा से लगे कई स्थानों पर हर वर्ष अभ्यास करती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है ;

(ख) क्या इन अभ्यासों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय लोगों को हुई वैयक्तिक क्षति की रक्षा विभाग द्वारा भुआवजा दिया जाता है ; यदि हां, तो उसका मानदण्ड क्या है और भुआवजा मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है ;

(ग) क्या इसमें राज्य के पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जाता है, यदि हां, तो कौन सा पदाधिकारी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उन व्यक्तियों की जिलावार सूची क्या है जिन्हें सेना ने अब तक मुआवजा दिया है;

(ङ) उन व्यक्तियों का जिलावार, विवरण क्या है जिनके मामले विचाराधीन है; और

(च) किस निश्चित तारीख तक उनके मामले निपटा दिये जायेंगे?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) दूसरे राज्यों मे स्थित यूनिटों की तरह राजस्थान स्थित यूनिटें भी नियमित रूप से प्रशिक्षण अभ्यास करती है।

(ख) इस प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान जान अथवा माल को हुई कोई क्षति या किसी व्यक्ति आई चोट के लिये थल सेना के विभाग द्वारा स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से परामर्श करके मुआवजा दिया जाता है। स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों को किसी एक दुर्घटना मे, प्रत्येक मामले में एक हजार रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक का मुआवजा देने का अधिकार है। इसके अलावा चांदमारी क्षेत्र में हुई दुर्घटना में किसी की मत्यु हो जाने पर वे दो हजार रुपये तक और चोट लगने के मामले में 500 रुपये का अनुग्रह पूर्ण मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजे की इस अधिक रकम सरकार द्वारा मंजूर की जाती है।

(ग) मुआवजा तय करने के लिये राज्य सरकार के स्थानीय राजस्व अधिकारियों को भी सहयोजित किया जाता है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी।

**राज्यों द्वारा अपने नियमों के लिए सीमेंट का आयात**

**1697. श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम की मार्फत विदेशों से सीमेंट आयात करके पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध नहीं किया जा रहा है और क्या इस बात को ध्यान में रखकर सामान्य लाइसेंसों द्वारा आयात करने के लिये छूट दिये जाने का प्रस्ताव है, और जिसकी दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी; और

(ख) क्या राज्य सरकारों तथा उनके विभिन्न निगमों को अपनी जरूरत के अनुसार सीमेंट आयात करने के लिये उन्हें छूट देने का विचार है और क्या किसी राज्य ने इस तरह की मांग की है और यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय लिया गया है और इस तरह की छूट देने के क्या कारण हैं?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रणजीत चानना)** : (क) और (ख): देश में सीमेंट की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से चालू वर्ष में बीस लाख मीट्रिक टन सीमेंट का आयात करने हेतु राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया गया है। इस मात्रा का आयात करने के लिये हरसभव प्रयास किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकारों ने सीधे ही सीमेंट का आयात करने हेतु निजी पार्टियों को अनुमति देने का प्रस्ताव किया था। इन अनुरोधों पर विचार किया गया और राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया था कि